विचार बिन्दु

काम, क्रोध, मद, लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। –तुलसीदास

जराजीर्णता प्रतिषेध एवं प्रबंध

कल्पना कीजिए एक 75 वर्षीय दादी, जो कुछ साल पहले तक सक्रिय थीं, अपने पोते-पोतियों के साथ खेलती थीं, और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेती थीं, अब सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई महसूस कर रही हैं, अक्सर संतुलन खो देती हैं, और पहले से कहीं अधिक थकान महसूस करती हैं। यह कहानी अनोखी नहीं है। दुनिया भर में, जराजीर्णता–एक जटिल नैदानिक स्थिति, जिसमें शक्ति, सहनशक्ति और शारीरिक कार्यों में कमी होती है–वृद्धों की जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। 2019 के एक वैश्विक विश्लेषण के अनुसार, जराजीर्णता का प्रभाव 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 10 प्रतिशत लोगों पर होता है, और उम्र के साथ इसकी व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या के कारण भारत में जराजीर्णता और आयु से संबंधित स्वास्थ्य गिरावट सामान्य बात होती जा रही है। जहां 112 मिलियन से अधिक बुजुर्ग लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

बुढ़ापे में किसी की मदद के बिना चलने-फिरने, पहनने-ओढ़ने और मलत्याग में सक्षम रहना है तो यह आलेख आपके लिए है।

जराजीर्णता, या फ्रैलटीका आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों में व्यापक रूप से विमर्श किया गया है। समकालीन शोध ऑक्सीडेटिवस्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, और फ्री रेडिकल क्षित के कारण शारीरिक गिरावट पर केंद्रित है। इसके विपरीत आयुर्वेद उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जराजीर्णता की एक समग्र दृष्टि प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार, जराजीर्णता तीन दोषों–वात, पित्त और कफ–के असंतुलन और शरीर के ऊतकों (धातु), पाचकाग्नि और मल प्रबंधन प्रणालियों के क्षय के कारण उत्पन्न होती है। वस्तुतः समय के परिणाम से बुढ़ापा और मृत्यु हर व्यक्ति के जीवन में अंततः आते हैं, और बुढ़ापे में होने वाली समस्यायें स्वाभाविक हैं। इनकी चिकित्सा नहीं होती (कालस्यपरिणामेनजरामृत्युनिमित्तजाः। रोगाः स्वाभाविकादृष्टाः स्वभावोनिष्प्रतिक्रियः।। च.शा.1.115)। स्वाभाविक जरावस्था को नहीं टाला जा सकता, पर अकाल-जरा या असमय बुढ़ापे की समस्याओं से निपटने के लिये आयुर्वेद में पर्याप्त, प्रभावी और प्रमाण-आधारित उपाय हैं।

आयुर्वेद उम्र बढ़ने (जरावस्था) को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में मान्यता देता है जो शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा को प्रभावित करती है। जीवन के विभिन्न चरणों में वात, पित्त, और कफ की परस्पर क्रियाशीलता के कारण विशिष्ट शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बचपन में कफ दोष का प्रभुत्व होता है, जो वृद्धि और विकास (अनाबॉलिज्म) को बढ़ावा देता है। वयस्कता में पित्त का प्रभुत्व होता है, जो चयापचय और शरीर की कार्यक्षमता को बनाए रखता है। वृद्धावस्था में वात का प्रभुत्व होता है, जो शरीर के गिरावट (कैटाबॉलिज्म) की ओर ले जाता है। कफ के क्षय के कारण बल में कमी होना, वात की वृद्धि के कारण शरीर में दर्द और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और पित्त की विषमता से अग्नि-वैषम्य बुढ़ापे के मुख्य लक्षण हैं जो जराजीर्णता लाते हैं।

आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उनका आयुर्वेद से मेल अब बहुत स्पष्टता से देखा जा सकता है। वर्ष 2019 के विश्लेषण में उद्धृत आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि जराजीर्णता कई कारकों, जैसे कि आनुवंशिक प्रवृत्ति, जीवनशैली विकल्प और पर्यावरणीय जोखिमों से प्रभावित होती है। जराजीर्णता के मुख्य कारणों में मांसपेशियों के द्रव्यमान और शक्ति का ह्रास (सार्कोपेनिया), संज्ञानात्मक गिरावट, कुपोषण और गतिशीलता में कमी शामिल हैं। ये स्थितियाँ ऑक्सीडेटिव तनाव और इन्फ्लेमेशन में वृद्धि से जुड़ी होती हैं, जो आगे कोशिका क्षति और उम्र बढ़ने को तेज करती हैं।

रोचक बात यह है कि जराजीर्णता के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद की सलाहऔर आधुनिक वैज्ञानिक रणनीतियों के मध्य बड़ी निकटता है। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद उम्र से संबंधित शारीरिक गिरावट को रोकने के लिए संतुलित अग्नि (पाचनशक्ति) और वात दोष के प्रबंधन पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण ऑक्सीडेटिव तनाव और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आधुनिक हस्तक्षेपों के साथ सुसंगत है ताकि उम्र-आधारित रोगजनन की गति को धीमा किया जा सके।

जराजीर्णता की रोकथाम की रणनीतियाँः जराजीर्णता की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें जीवनशैली में परिवर्तन, आहार संबंधी हस्तक्षेप और उपचारात्मक अभ्यास शामिल होते हैं। यहाँ आज तक अद्यतन, प्रमाण-आधारित और सर्वाधिक प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैंः बहुयुक्तव्यायाम वनानुभव समाजोन्मुखता विवाहकर्तव्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा शुद्धान्तःकरणोत्तमप्रज्ञाध्यात्मज्ञानसुखायुहितायुसहाग्निसाम्यं फलशाकविविधाशनमद्यत्यागोदरस्थौल्यमुक्ततासहितंनित्यसेवनीयैरामलक्याद्यैः रसायनैश्चजराजीर्णतायाः प्रतिषेधंकरोति, तत्रसर्वेषुव्यायामरसायनयोः सर्वरसाभ्यासस्य च श्रेष्ठतमत्वम्। (यजुर्विदतन्त्र)। इस सूत्र को विस्तार से समझने के पूर्व इसका अर्थ समझना आवश्यक है। विविध प्रकार के व्यायाम, वनानुभव, समाज से मेल-मिलाप, वैवाहिक और पारिवारिक स्थिति, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, शुद्ध अंतःकरण, उत्तम प्रज्ञा, अध्यात्मज्ञान, सुखायु (सुखी जीवन) और हितायु (हितकारी जीवन) के साथ-साथ अग्नि का साम्य (पाचनाग्नि का संतुलन), फल और सब्जियों का विविध आहार,मद्य का त्याग, उदरस्थौल्य (तोंद के रूप में पेट की चर्बी) का अभाव, आंवला, द्राक्षा, अनार आदि जैसे नित्य सेवन योग्य रसायन – ये सब मिलकर जराजीर्णता का प्रतिषेध (बचाव, प्रिवेंशन) करते हैं। इनमें से, व्यायाम, रसायन सेवन, और सभी रसों से युक्त नियमित आहार की विविधता बचाव के सर्वोत्तम कारक हैं।

ध्यान दीजिये, यजुर्विदतन्त्र कोई संकलन नहीं बल्कि आयुर्वेद की एक मौलिक संहिता है जो ज्ञान की त्रिवेणी–शास्त्र, साइंस, अनुभव–पर आधारित है व युगानुरूप लिपिबद्ध की जा रही है। उपरोक्त सूत्र जराजीर्णता प्रबंधन एवं प्रतिषेध पर उपलब्ध ज्ञान को एकीकृत कर लिखा गया है। प्राचीन संहिताओं और समकालीन वैज्ञानिक शोध पर प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ 422 मेटा-एनालिसिस, और अनुभवजन्य ज्ञान समाहित हैं। इस सूत्र में प्रदत्त उपयोग-योग्य जानकारी आगे प्रस्तुत है।

> **आयुर्वेद के अनुसार, पोषक तत्वों के अवशोषण और आत्मसात करने के लिए संतुलित पाचक अग्नि आवश्यक है। वृद्धावस्था में, पाचन दक्षता अक्सर कम हो जाती है, जिससे कुपोषण और जराजीर्णता होती है। इसका प्रबंधन करने के लिए, आयुर्वेद पाचक जड़ी-बूटियों के उपयोग, सावधानीपूर्वक खाने के अभ्यास और उचित पाचन और चयापचय कार्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित मलत्याग की सिफारिश करता है।**

1. बहु-घटक व्यायामः जराजीर्णता की रोकथाम और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आयुर्वेद के अनुसार, बल के आधे तक नियमित व्यायाम दोषों को संतुलित करता है, विशेष रूप से वात, जो गतिशीलता से जुड़ा होता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, सहनशक्ति को बढ़ाता है, और जोड़ों का लचीलापन बनाए रखता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि बहु-घटक व्यायाम (एरोबिक, प्रतिरोध, संतुलन, और लचीलापन प्रशिक्षण का संयोजन) मांसपेशियों के द्रव्यमान, हड्डियों का घनत्व और समग्र शारीरिक कार्य को सुधारकर जराजीर्णता के जोखिम को काफी कम कर सकता है।

2. आहार विविधता और पौष्टिक भोजनः दोषों को संतुलित करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद सभी छह रसों (षड रस) से समृद्ध आहार पर जोर देता है। आधुनिक पोषण विज्ञान भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है, जो फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और बीजों जैसे खाद्य पदार्थों से समृद्ध विविध आहार का परामर्शदेता है। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो जराजीर्णता की रोकथाम, ऑक्सीडेटिव तनाव और दर्द व सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

3. रसायनः आयुर्वेद के रसायन उम्र बढ़ने को रोकने और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित की गई है। इसमें आंवला, द्राक्षा, अनार, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी जड़ी-बूटियों का उपयोग शामिल है, जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों और संज्ञानात्मक और शारीरिक कार्य को बढ़ाने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। आधुनिक शोध इन लाभों की पुष्टि करता है, जिससे पता चलता है कि इस तरह की जड़ी-बूटियाँ ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करके और कोशिका कार्य में सुधार करके उम्र बढ़ने के प्रभावों में कमी ला सकती हैं।

4. सामाजिक सहभागिता और मानसिक कल्याणः जराजीर्णता केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है; इसका एक महत्वपूर्ण मानसिक घटक भी होता है। आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य (सत्त्व) पर जोर देता है और ध्यान, आध्यात्मिक गतिविधियाँ (आध्यात्मिक आहार) और सामाजिक सहभागिता जैसी बातों पर सुझाव देता है ताकि मन को संतुलित रखा जा सके। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि सामाजिक सहभागिता और संज्ञानात्मक गतिविधियाँ, संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं, जिससे जराजीर्णता का जोखिम कम हो जाता है।

5. पाचनशक्ति का प्रबंधन और दोष संतुलनः आयुर्वेद के अनुसार, पोषक तत्वों के अवशोषण और आत्मसात करने के लिए संतुलित पाचक अग्नि आवश्यक है। वृद्धावस्था में, पाचन दक्षता अक्सर कम हो जाती है, जिससे कुपोषण और जराजीर्णता होती है। इसका प्रबंधन करने के लिए, आयुर्वेद पाचक जड़ी-बूटियों के उपयोग, सावधानीपूर्वक खाने के अभ्यास और उचित पाचन और चयापचय कार्य सुनिश्चित करने के लिए नियमित मलत्याग की सिफारिश करता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी जराजीर्णता की रोकथाम के लिए आंत के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण को बनाए रखने पर जोर देते हैं।

6. शारीरिक-भार और उदर-स्वास्थ्य का रखरखावः जराजीर्णता की रोकथाम में इष्टतम शरीर भार बनाए रखना और उदर मोटापा (सेंट्रल ओबेसिटी) से बचना आवश्यक है। आयुर्वेद का सुझाव है कि खाने की आदतों के प्रति सचेत रहना और भारी, तैलीय या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अत्यधिक खपत से बचना पेट के मोटापे और उससे जुड़े जोखिमों को रोक सकता है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि उदर-मोटापा कई क्लिनिकल समस्याओं, जैसे कि मेटाबोलिक सिंड्रोम, मधुमेह और हृदय रोगों से जुड़ा हुआ है। ये सभी रोगजराजीर्णता में योगदान करते हैं।

7. अत्यधिक निष्क्रिय व्यवहार से बचनाः आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात से सहमत हैं कि अत्यधिक निष्क्रिय व्यवहार (सदासन या सीडेंटरीबिहैवियर) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेष्टाद्वेषी व्यक्ति बहुत जल्दी जराजीर्णता में फंस जाते हैं। स्वास्थ्य और जीवन-शक्ति को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद शारीरिक निष्क्रियता से बचने और नियमित शारीरिक व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने परामर्श देता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी पुष्टि करते हैं कि नियमित व्यायाम, यहां तक कि छोटे अंतराल में भी, मांसपेशियों की शोष को रोक सकता है, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, और जराजीर्णता के जोखिम को कम कर सकता है।

8. नित्य-सेवनीय रसायनों का दैनिक उपयोगः आयुर्वेद आंवला (आमलकी), अनार (दाडिम), द्राक्षा (मुनक्का), गाय का दूध और घी जैसे नित्य सेवनीय रसायनों के दैनिक उपयोग की सलाह देता है। इससे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और उम्र-आधारित रोगजनन की गति बहुत कम हो जाती है। आधुनिक पोषण विज्ञान यह मानता है कि ये पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ सकते हैं, व्याधिक्षमत्व (प्रतिरक्षा) को बढ़ा सकते हैं, और रोगरहित दीर्घायु (हेल्थ-स्पान) दे सकते हैं, जिससे जराजीर्णता की रोकथाम हो सकती है। यदि स्वस्थ व्यक्ति के भोजन में प्रतिदिन अनार, आमलकी और द्राक्षा हो तो उस व्यक्ति के स्वस्थ रहे आने की प्रबल संभावना है।

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान मिलकर जराजीर्णता के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान करते हैं। जीवनशैली में संशोधन, आहार हस्तक्षेप, व्यायाम, सामाजिक सहभागिता और रसायन चिकित्सा को एकीकृत करके, हम स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा दे सकते हैं और जराजीर्णता के जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे उन्नत आयु में भी एक अधिक जीवंत, स्वतंत्र और संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय,
(इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

पंचायतों और नगरपालिकाओं का समयबद्ध निर्वाचन – राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व

आर. के. पारीक

वर्ष 1994 से पूर्व देश में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य सरकारों द्वारा कराये जाते थे, जिसके लिये विभिन्न कानून तो थे, लेकिन ऐसे बाध्यकारी कानून नहीं थे कि निर्धारित कार्यकाल में चुनाव हो ही जाये। राज्य सरकार कभी इन संस्थाओं का चुनाव सुविधा अनुसार करा लेती, कभी कार्यकाल समाप्ति से पूर्व इन्हें भंग कर देती, कभी अनिश्चित काल तक चुनाव नहीं होते, और कभी लम्बे समय तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता। कुल मिलाकर इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त थी और सरकारी अधिकारी ही प्राय इनके मुखिया बने रहते थे। भारत के संविधान के 73वें संशोधन सें पार्ट 9 और 74 वें संशोधन से पार्ट 9-क जोड़कर क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिये व्यापक प्रावधान किये गये, जो वर्ष 1993 से प्रभावी हुये। इनके द्वारा इन संस्थाओं के समयबद्ध और नियमित चुनाव कराने तथा एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के लिये व्यवस्था की गयी।

संविधान के अनुच्छेद 243-ई में पंचायतीराज संस्थाओं और अनुच्छेद 243-यू में नगरपालिकाओं के लिये प्रावधित किया गया है कि संस्था का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, जिसे बढ़ाया नहीं जायेगा, यदि किसी संस्था को कार्यकाल समाप्ति पूर्व भंग करना हो तो उसे पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जावेगा, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही संस्था के गठन हेतु चुनाव कराना अनिवार्य होगा, भंग होने की स्थिति में संस्था का चुनाव केवल उस शेष अवधि तक मान्य होगा जो मूल अवधि में शेष रही, लेकिन 6 महिने से कम शेष अवधि में चुनाव आवश्यक नहीं होगा।

अनुच्छेद 243के और अनुच्छेद 243जैड-ए के अनुसार इन संस्थाओं के निर्वाचनों का संचालन और इसके लिये निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण में होंगा। अनुच्छेद 324 में भारत निर्चाचन आयोग को लोकसभा-विधानसभा के निर्वाचनों का संचालन तथा इनके लिये निर्वाचक नामावलियों की तैयार करने के लिये नियंत्रण, निर्देशन एवं अधीक्षण की शक्तियां व अधिकार दिये गये है, वैसे ही अधिकार व शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को भी अनुच्छेद 243-के और अनुच्छेद 243 जैड-ए में दी गई है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद में महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी संसद में महाभियोग से हटाया जा सकता है ऐसे प्रावधानों का प्रयोजन यही है कि स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव भी नियमित रूप से स्वतंत्र आयोग, जो सरकार के अधीन नहीं हो, द्वारा कराये जाते रहे।

इसी विषय मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पाँच जजों की संविधान पीठ ने सिविल (अपील) संख्या 5756/2005 किशनसिंह तोमर बनाम नगर निगम अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण लैण्डमार्क निर्णय पारित किया जिसमें सभी राज्य सरकारों ओर राज्य निर्वाचन आयोगों के लिये निर्देश भी दिये गये। इन निर्देशों में मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार है:-

1. संस्थाओं का चुनाव पाँच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही होना बाध्यकारी है और इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता,

2. राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का समान स्टेटस है और समान प्रकार की शक्तियां प्राप्त है,

3. परिसीमन कार्य के लंबित रहने या मतदाता सूचियां नहीं बनने या अन्य प्रशासनिक कठिनाईयों को चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता,

4. यदि संस्था का कार्यकाल समाप्ति की ओर हो लेकिन वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ या मतदाता सूचियां अद्यतन नहीं है, तो वर्तमान में जो भी वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र और मतदाता सूचियाँ हो, तो उन्हीं के आधार पर चुनाव करा लिये जायें, लेकिन चुनाव निर्धारित समयावधि में ही हो,

5. समयबद्ध चुनाव सम्पन्न कराने में राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता करेगी,

6. यदि राज्य सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का कत्तर्व्य होगा कि वह सर्वप्रथम उच्च न्यायालय में एप्रोच करें और वहां भी यदि सफलता प्राप्त ना हो तो राज्य सरकार को निर्देशित कराने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेण्डामस रिट या अन्य समुचित रिट के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत करें।

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायिक निर्देशों की क्रियान्विती राजस्थान में किस प्रकार हुई और अब कैसे हो रही है, यह गौर करने लायक है। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई, 1994 में हुयी थी तब राज्य में सभी पंचायतीराज संस्थाओं और जयपुर, जोघपुर, कोटा जैसे बड़े-बड़े नगर निगमों, नगर परिषदों सहित 44 नगरपालिकाओं के चुनाव कई वर्षो से बकाया थे। संविधान संशोधन के फलस्वरूप इन संस्थाओं के चुनाव के लिये बने पूर्व के कानून बदले गये, नया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 बना और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में भी व्यापक संशोधन किये गये। साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी नये सिरे से निर्धारित करने के नियम बनाये गये। आयोग को अपना कार्य नये सिरे से शून्य से प्रारम्भ करना था।

तत्कालीन राज्य सरकार के मुखिया की मंशा थी कि यह राज्य देश के उन अठाणी राज्यों में हो जहां संविधान संशोधन की क्रियान्विती में सभी चुनाव शीघ्र सम्पन्न हो, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी भारत निर्वाचन आयोग की भाँति एक सशक्त व स्वतंत्र आयोग बने। गठन के बाद अगस्त, 1994 में आयोग में जिला निर्वाचन अधिकारियों की प्रथम बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने उद्बोधन में सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया।

ऐसी बैठक में ऐसी उपस्थिति एकमात्र उदाहरण है लेकिन जैसा उन्होंने बैठक में आश्वासन दिया वह पूर्ण भी हुआ। सरकार के सहयोग और आयोग के कठिन परिश्रम का ही परिणाम था कि नये सिरे से परिसीमन का कार्य भी हुआ और साथ ही साथ नयी मतदाता सूची तैयारी, चुनाव प्रक्रिया हेतु नये निर्देश, नयी स्टेशनरी, नये प्रपत्रों की तैयारी व मुद्रण, चुनाव सामठी की आपूर्ति आदि समस्त कार्य कई कठिनाईयों के बावजूद पूर्ण हुये और नगरपालिकाओं के सभी बकाया चुनाव नवम्बर, 1994 में तथा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव जनवरी-फरवरी, 1995 में सम्पन्न हो गये। आयोग द्वारा कराया गया यह चुनाव पहला चुनाव था, जिसमें सरकार का पूर्ण सहयोग था, लेकिन इसके बाद स्थिति में बदलाव आया।

राजस्थान ऐसे बिरले और सौभाग्यशाली राज्यों में से एक है, जहां आयोग की स्थापना से लेकर लगातार पाँच कार्यकालों में (पच्चीस वर्ष) तक यानि वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2019-20 तक पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में निर्वाचित बोर्ड कार्यरत रहे, हालांकि प्राकृतिक आपदाओं या कानून-व्यवस्था बिगडने के कुछेक मामलों में अपवाद अवश्य रहा। इस अवधि में भी यदाकदा राज्य सरकार द्वारा चुनाव स्थगित कराने के प्रयत्न हुये लेकिन आयोग की सजगता और प्रतिरोध से समय पर चुनाव करा लिये गये।

नवम्बर, 1999 में जब नगरपालिकाओं के चुनाव होने थे राज्य सरकार ने परिसीमन/आरक्षण का आधार लेकर चुनाव स्थगित करने का आयोग से अनुरोध किया जिसे आयोग ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद एक निजी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा चुनाव को स्थगित करने का आदेश पारित कर दिया गया तो आयोग ने तुरन्त ही माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील प्रस्तुत की, तोराज्य सरकार ने भी आयोग का विरोध करते हुये चुनाव स्थगित करने की मांग की, लेकिन न्यायिक निर्णय आयोग के पक्ष में ही रहा और अवशेष रहे आरक्षित वार्डो का उसी समय निर्धारण करते हुये चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हो गये।

वर्ष 2000 में राज्य कर्मचारियों की व्यापक हड़ताल होने के बावजूद पंचायत चुनाव सरकार की मदद से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुये। वर्ष 2004 में जब पंचायत चुनाव होने थे, तब फिर परिसीमन कार्य में विलंब होने लगा और आयोग के निरंतर आग्रह पर भी कार्य में प्रगति नहीं हो रही थी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ में प्रस्तुत निजी याचिका पर सख्त न्यायिक निर्देश के बाद परिसीमन का कार्य तुरन्त पूर्ण हुआ और चुनाव भी निर्धारित कार्यकाल में ही सम्पन्न हुये।

कार्यकाल समाप्ति पर अगस्त, 2010 में 127 नगरपालिकाओं के चुनाव होने थे लेकिन महिला आरक्षण के कोटा संबंधी बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में प्रस्तुत एस.एल.पी. की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव स्थगित कराने का भी अनुरोध कर दिया जिसे मान लिया गया और चुनावों पर स्थगन आदेश पारित हो गया। आयोग को जैसे ही इसकी जानकारी हुयी तो सरकार के विरूद्ध माननीय सर्चोच्च न्यायालय में अविलंब प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा प्रस्तुत कियागया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ना केवल स्थगन आदेश को वापिस लिया, बल्कि सरकार को भी निर्देश दिये कि वह आयोग का सहयोग करें।

आयोग की स्थापना से लेकर वर्ष 2019-20 तक लगातार पाँच कार्यकालों में स्थानीय निकायों के निर्वाचित बोर्ड रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ? स्थिति सर्वज्ञात है। कभी संस्थाओं के पुनर्गठन या नये परिसीमन या कोविड को आधार बनाकर पंचायतीराज संस्थाओं और कई नगरपालिकाओं के चुनाव टाले जाते रहे। वर्तमान परिदृश्य में अधिकांश संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हुये एक अरसा हो गया लेकिन इनका चुनाव कब हो पायेगा, निश्चित नहीं हो पा रहा।

चुनाव कराने में मुख्य बाधा बतायी जा रही है, पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण का कार्य शेष रहना और परिसीमन में विलंब होना। संविधान के अनुसार इन संस्थाओं में अनुसुचित जातियो/जनजातियों तथा महिलाओं का आरक्षण बाध्यकारी है। लेकिन पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अनुमत (झीस्रेग्ंत) है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक आयोग के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही पिछड़े वर्गा के लिये इन संस्थाओं में आरक्षण को मान्यता दी है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकास किशन गवली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरण में पारित निर्णय (वर्ष 2021) के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के बिना इन संस्थाओं में पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण नहीं हो पायेगा तब भी इसके लिये यथोचित प्रयास नहीं हुये और पृथक आयोग की स्थापना कई वर्षो तक नहीं हुई। इस दौरान अलग-अलग सरकारें रही, लेकिन दोनों ही सरकारों में यथासमय कार्य नही हुआ। पंचायतों व नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब ट्रिपल टेस्ट के लिये आयोग कार्य कर रहा है, कब इसकी रिपोंट आयेगी,कब आरक्षण हो पायेगा, अनिश्चित सा है। अनुसूचित जाति/जन जातियों व महिलाओं के लिए आरक्षण का कार्य जब भी सरकार चाहे वह तुरन्त हो सकता है, क्योंकि वार्ड परिसीमन के बाद इसके आंकड़े उपलब्ध रहते है।

इन संस्थाओं के परिसीमन का कार्य कौन प्राधिकारी करे, इसके लिये संविधान में नहीं बताया गया है। राज्य विधान मण्डल ही इसका कानून बनाने में सक्षम है। राजस्थान में परिसीमन व आरक्षण का कार्य राज्य सरकार के अधीन है, फिर भी राज्य निर्वाचन आयोग को भी जानकारी में रहता है कि परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है तो किस स्तर तक पूरा हुआ है और कितना अवशेष है।

समय पर चुनाव कराने का दायित्व आयोग का है जिसके लिये संविधान ने इसे स्वतंत्र स्टेट्स प्रदान किया है और आयोग बना ही इसी प्रयोजन से है। यदि संस्थाओं के चुनाव कराने की दिशा में परिसीमन या आरक्षण का कार्य सरकार के स्तर पर लंबित चल रहा था तो आयोग को इसके लिए राज्य सरकार से निरन्तर आग्रह करते हुये प्रयास करने चाहिये थे और जैसा पूर्व होता भी रहा। राज्य सरकार इन संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय पर सम्पन्न कराने में सहयोग नहीं देती, तो आयोग का कत्तर्व्य होना चाहिये था, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशनसिंह तोमर प्रकरण में निर्देश प्रदान किये थे, कि वह सर्वप्रथम तो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर एप्रौच करता और यहां भी सफलता नहीं मिलती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेण्डामस या अन्य उपयुक्त याचिका के माध्यम से राज्य सरकार को निर्देश जारी कराने हेतु प्रयास करना चाहिये था।

आवश्यकता होने पर पूर्व उदाहरणों को देखते हुये सरकार से स्वतंत्र और निडर होकर न्यायपालिका की यथासमय शरण लेनी चाहिये थी। अब तो बहुत अधिक विलंब हो चुका है, यदि समय रहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के वर्ष 2006 में दिये गये निर्देशों पर गौर कर कार्यवाही की गई होती तो चुनाव समयबद्ध सम्पन्न हो सकते थे।

-आर. के. पारीक,
पूर्व आर. ए. एस. अधिकारी

नशे के खिलाफ जयपुर पुलिस का बिगुल : ''नो टू ड्रग्स-वेक अप जयपुर'' अभियान शुरू

राजेश यादव

जयपुर पुलिस द्वारा युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने एवं समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान बिगुलः 'नो टू ड्रग्स -वेक अप जयपुर' संचालित किया जा रहा है।

पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी, विक्रय एवं सेवन की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न कानून बनाए गए हैं, किन्तु युवाओं को नशे से पूर्णतः दूर रखने के लिए शैक्षिणक संस्थानों के माध्यम से जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ एवं सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण कर परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना हम सभी का दायित्व है।

उन्होंने कहा कि पुलिस, शिक्षक वर्ग, स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय प्रबंधन एवं समाज के संभ्रांत नागरिकों के संयुक्त प्रयास से शैक्षिणक संस्थानों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। अभियान के तहत आयुक्तालय जयपुर के सभी जिलों के शैक्षिणक संस्थानों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जागरूकता, आंकड़ों का संकलन एवं आवश्यकतानुसार कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत स्कूल एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने, रैली, नुक्कड़ नाटक एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित करने, निबंध, पोस्टर, चित्रकला व फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन-जागरूकता बढ़ाने, विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर नशा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने, शैक्षिणक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने, अभिभावकों-शिक्षकों की सहभागिता बढ़ाने, विधिक साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन, नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों के भ्रमण तथा पुलिस, एनजीओ एवं विशेषज्ञों के समन्वय से युवाओं को नशे से दूर रखने हेतु व्यापक प्रयास किए जाएंगे। इस अभियान के माध्यम से जयपुर पुलिस, शिक्षा विभाग एवं समाज के सभी वर्गों के सहयोग से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाकर एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास कर रही है। जयपुर पुलिस द्वारा संचालित यह अभियान मई माह में शैक्षिणक संस्थान प्रारम्भ होने के साथ ही शुरू किया जाएगा। पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने बताया कि प्रथम चरण में 10 मई से 25 मई तक विशेष कार्यवाही की जाएगी तथा इसकी रिपोर्ट 26 मई तक पुलिस आयुक्त कार्यालय में भिजवाई जाएगी। इसके बाद यह अभियान प्रत्येक माह 1 से 15 तारीख तक संचालित कर रिपोर्ट 16 तारीख तक कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।

–राजेश यादव, सहायक निदेशक, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

राशिफल रविवार 12 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2083, श्रवण नक्षत्र दिन 3:14 तक, साध्य योग सायं 6:16 तक, वणिज करण दिन 12:57 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:45 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

भद्रा दिन 12:57 से रात्रि 1:17 तक रहेगी। पंचक रात्रि 3:45 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 7:45 से 9:19 तक, लाभ-अमृत 9:19 से 12:28 तक, शुभ 2:02 से 3:36 तक।

राहूकालः 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 6:10, सूर्यास्त 6:45

मेष

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मिथुन

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। धन हानि हो सकती है।

कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण एवं धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह

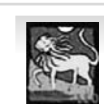

स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है।

धनु

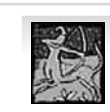

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

मकर

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

कुंभ

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

मीन

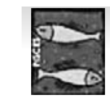

आर्थिक/वित्तिय मामलों में संतुलन बना रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में आज उचित सफलता मिल सकती है। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।